

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/07/2019

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

चन्द्रावली पत्नि स्व० श्री हंसराज ग्राम पोस्ट लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला
नानगवास तहसील नीमराना जिला अलवर कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 12-03-2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा०पत्र दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.02.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 373 दिनांक 28.02.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र० दिनांक 12.10.18 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को कोषाधिकारी अलवर से प्राप्त सूचना पत्र सं० 241 दिनांक 21.02.19 मूल ही संलग्न कर, पत्रांक 374 दिनांक 28.02.19 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)